न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 29/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

अल्टम केडो होम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, शाखा कार्यालय, मयुर प्लाजा, सी–8/1, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी जितेन्द्र सिंह चौहान।

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड़ (स्व. ओमप्रकाश जांगिड़ के विधिक वारिसान के रूप में)**, पता–खसरा नम्बर 900, सरकारी अस्पताल के पास, खूड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।
2. **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड**, पता–खसरा नम्बर 900, सरकारी अस्पताल के पास, खूड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:–05 अगस्त, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री योगेन्द्र सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** एवं **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 900, राजस्व ग्राम खूड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 752.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली प्लॉट, पश्चिम दिशा में मकान महावीर जी शर्मा, उत्तर दिशा में आम रास्ता 13 फीट चौड़ा एवं दक्षिण दिशा में खाली भूखण्ड दीगर है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 9,92,409/–**

कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रूपये (अक्षरे रूपये नौ लाख बानबे हजार चार सौ नौ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.12.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.12.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** एवं **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लक्ष्मी देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश जांगिड** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 900, राजस्व ग्राम खूड़, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 752.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में खाली प्लॉट, पश्चिम दिशा में मकान महावीर जी शर्मा, उत्तर दिशा में आम रास्ता 13 फीट चौड़ा एवं दक्षिण दिशा में खाली भूखण्ड दीगर है।

कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 05 **अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
कमर चौधरी
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर